

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

बॉम्बे-वीन, डी.टी.एम. एन. इंडस्ट्री बिल्डिंग, नया रायपुर, बटन नगर, बिला-रायपुर (छ.प्र.)

Website: www.cgshakti.org.in, E-Mail ID: cgshakti@gmail.com, No. 8775-240323, 141516

क्रमांक / 603 / न्युनको / 80980 / 2025 / 2020

नया रायपुर, दिनांक 27.03.2025

अधिसूचना

अखिलराज्य राज्य में अखिलराज्य न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(5) में विहित व्यवधान सह पठित अथ विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए/82, दिनांक 26.05.1982 की अनुसरण से, मैं अलखेलगार्ड डी. अन्वयुक्त, छत्तीसगढ़, एनए इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल को विवे अधिल भारतीय उपरोक्ता न्यून न्यूनतम वेतन जो कि भारत सरकार के लेबर ड्यू, क्रिया से प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के पदों के विवे निम्नानुसार अधिसूचित कराती हूँ -

न्यून/सर्व	अधिल भारतीय उपरोक्ता न्यून न्यूनतम वेतन (अथवा सर्व 1986-87 = 100)	न्यून/सर्व	अधिल भारतीय उपरोक्ता न्यून न्यूनतम वेतन (अथवा सर्व 1986-87 = 100)
जवानरी 2024	1258	जुगुर्दा 2024	1290
फरवरी 2024	1268	जगल 2024	1297
मार्च 2024	1278	विजयन्त 2024	1304
अप्रैल 2024	1288	अन्वयुक्त 2024	1311
मई 2024	1298	अन्वयुक्त 2024	1320
जून 2024	1308	विजयन्त 2024	1327
कुल	$\frac{7587}{6} = 1265$	कुल	$\frac{7590}{6} = 1265$

इसका अंतिम 1308 घोषित कराती हूँ, जो कि अनुसूची- "क" इलेक्ट्रिकल के अधिनियम के विवे निर्दिष्ट अथ न्यूनतम वेतन (अथवा सर्व विहित इलेक्ट्रिकल न्यून) राशियाँ अथ अखिलराज्य अधिसूचना क्रमांक एन 10-4/2016/16, दिनांक 20.01.2017 द्वारा परिवर्तनकारी न्यूनतम वेतन 130 है।



(अलखेलगार्ड डी.)

अन्वयुक्त एवं राज्य अधिकाारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

कम्प-डीए, डिपॉजिट कार, इकॉनो बंगर, नया रायपुर, आगत कार, बिला-रायपुर (एम.)

Website: www.cslctg.com, E-Mail ID: csctg2017@gmail.com, No. 0773-240933, 113726

**कृषि निवोधन (भाग-दो) में निवोधित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.04.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महीगाई बरतों
की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणानुसृत टीप**

प्रत्येक वर्ष राज्य की अतिवृत्त अवधि एवं 18-4/2010/18 दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि निवोधन भाग-दो में निवोधित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीकित की गई हैं, जो अधिल भारतीय उपरोक्ता मूल सूचकांक (1000-87-100) 852 (जगती-वृत्त 20-18) को अन्वय मानकर संवद की गई हैं।

अनुसृत आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर की अतिवृत्त अवधि/अव/न्युके/85230/2024/2808 दिनांक 27.08.2024 के अनुसार पुनर्गणना 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपरोक्ता मूल सूचकांक का औसत 1308 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वात प्रणाली के अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपरोक्ता मूल सूचकांक के औसत 1285 (1000-87-100) फरवरी 2024 से जून 2024 से अन्वय अधिभारों के औसत 43 अधिभारों की वृद्धि हुई है। एवंनुसार अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपरोक्ता मूल सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 43 किन्तु वात प्रतिक्रिन्दु अधिभार 06 सपरी के मान में परिवर्तनशील महीगाई बरतों देस होग। परिणामस्वरूप 06 सपरी प्रतिक्रिन्दु अधिभार के मान में अधिभार सपरी 215 वा अधिभार सपरी 7.17 (08 दिन के मान में) कीर्तनशील महीगाई बरतों दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देस है। (अनुसृती-क)



(अन्वयमहीगाई बी)

अनुसृत एवं सहाय अधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰਬਰ (ਏਮ- 'ਐ')
 (ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ')

ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ' (ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ')

ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'

ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'		ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'		ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'		ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'	ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'		ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'		ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'	
ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ		ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ
ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'						ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ	ਬੀਐਚ


 (ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ')
 ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'
 ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'
 ਬੀਐਚ ਬਾਇ-ਬੀ-ਐਚ 'ਐ'

स्पष्टीकरण

1. शक्तिय सजदुती नर सिपुका किली कर्नदारी का दैगित वेतन 30 से गलर वेकर संरभित किरा कालेन।
2. अडिपुकि न्युलन वेतन दरी का प्रकन किली नी कर्नदारी का अडिपुल प्रकन नदी कालेन, अडे सिपुलन सजदुती की दरी न्युलन सजदुती की पुनोकिन वर से अडिपुल डे तो वर किली डी दरा नै कम नदी की कालेनी।
3. दल अडिपुलनर के अकरीन वेतन वरै किली एन पुनरी के किल एन कालन किरा डे।
4. कृषि सिपुंडन डे अडिपुलन कनी सिपुंडनरी के किल सिपु सिपुंडनरी की दरी न्युलन सजदुती की दरी नै न्युलन सजदुती अडिपुलन 1968 (अनक 11 नन 1968) की धारा 13 की ककाला (1) की ककाल (अ) डे अडिपुल प्रकरीनर किले अडिपुल सिपुल किरा के कालेन नै कालेनिक कालेनिक डे।



(अडिपुलनर डी)
ककालुन एन ककाल अडिपुलरी
न्युलन वेतन अडिपुलन, 1968
ककालुन, ककालुन

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

एम्ब-टीए, द्वितीय मंज, इंदारजी मज, नया राजपुर मजल नगर, बिला-दवपुर (म.प.)

संलग्नक-सामग्री संख्या/अ.सं./ए.सं.सं. 11-सु.सं.2025/2040, फ़ोन नं. 0773-242393, 141334

अज्ञात/अस/सु.सं.0/सामग्री/2025/2040,

नया राजपुर, दिनांक 27.03.2025

अधिसूचना

प्रसिद्धिपत्र संख्या में प्रकाशित श्रमायुक्त सेवा अधिनियम, 1947 की धारा 2(5) में निर्दिष्ट अज्ञात संज्ञक संख्या का विचार की अधिसूचना अज्ञात/2701/213/अ-ए/22, दिनांक 29.05.2022 को अनुसार में, में अज्ञातसंख्याई की, संशुद्ध प्रतीक, संख्या इस अधिनियम भारतीय प्रतीक संख्या सूचकांक, जो कि प्रकाश संख्या के लेख सूत्र, विचार में प्रकाश संख्या में दिनांक अनुसार सुलाई 2024 में दिनांक 2324 तक के मजरी के लिए निर्धारित प्रकाशित करती है -

सं/सं	अज्ञात भारतीय प्रतीक संख्या सूचकांक (संख्या सं 2021 = 100)	सं/सं	अज्ञात भारतीय प्रतीक संख्या सूचकांक (संख्या सं 2021 = 100)
अज्ञात 2024	433.03	सुलाई 2024	411
अज्ञात 2024	432.93	अज्ञात 2024	411
अज्ञात 2024	433.03	दिनांक 2024	413
अज्ञात 2024	431.47	अज्ञात 2024	418
अज्ञात 2024	432.91	अज्ञात 2024	418
अज्ञात 2024	437.23	दिनांक 2024	414
कुल	$\frac{2412.58}{8} = 402.10$ (100)	कुल	$\frac{2481}{6} = 413.50$

इसका अर्थ 413.50 प्रतिशत करती है, जो कि प्रतिशत अधिसूचित सामग्री निर्धारण (आ-ए) के अधिनियम में निर्दिष्ट नया सूचकांक (संख्या संख्या अधिनियम द्वारा संज्ञक संख्या) का निर्धारण अधिसूचना अज्ञात एम्ब 10-4/2018/अ, दिनांक 29.05.2017 एवं अधिसूचना अज्ञात एम्ब 10-4/2018/अ, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित अधिनियम अधिनियम निर्धारण (आ-ए) अधिनियम 'अ' के अधिनियम में दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक भारतीय प्रतीक संख्या संख्या संख्या है।


 (अज्ञातसंख्याई की)
 संशुद्ध एवं अज्ञात अधिनियम,
 श्रमायुक्त सेवा अधिनियम, 1947
 प्रतीक संख्या, राजपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

ब्लॉक-टीन, छत्तीस गढ़, इटावा नगर, रायपुर, जयपुर, जिला-रायपुर (छ.प्र.)

Website: www.ajkchcr.cgg.in, E-Mail ID: ajkchcr@rediffmail.com, No. 0773-244253, 1414, 14

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित अभियंता एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई फार्म की संशोधन एवं पुनरीकित दफ्तों के संबंध में

विद्यमानालोक टीप

छत्तीसगढ़ शासन कर्म विभाग की अधिसूचना क्रमांक एच 10-4/2016/18, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एच 10-4/2016/18, दिनांक 01.08.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित अभियंता के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीकित की गई है, जो अखिल भारतीय एम्प्लोका न्यून सूचकांक 271 (अगस्त-जून 2016) 2001-100 की अंशदा मानकर 1948 की गई है।

सामान्य कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/अच/न्यून/एच/90/89/2015/2040, दिनांक 27.03.2015 के अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय एम्प्लोका न्यून सूचकांक का अंशदा 413.80 रहा है, जिससे अंशदा गत छह माह के अखिल भारतीय एम्प्लोका न्यून सूचकांक 403.10 (2001-100 जनवरी 2024 से जून 2024 के अंशदा अंकनों के अंशदा (413.80-403.10) 11.40 अंशदा बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन कर्म विभाग की अधिसूचना क्रमांक एच 10-4/2016/18, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एच 10-4/2016/18, दिनांक 01.08.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित अभियंता के लिए परिवर्तनशील महंगाई फार्म की संशोधन केस के तहत निम्नलिखित औद्योगिक श्रमिकों के लिए एम्प्लोका न्यून सूचकांक 271 (अगस्त-जून 2016) 2001-100 के अंशदा के अंशदा की छक्की में हुई अंशदा वृद्धि पर अधिसूचित अंशदा 20 करने के बराबर होना होगा। परिवर्तनशील अंशदा 20 करने अधिसूचित अंशदा के बराबर अधिसूचित अंशदा 228 का अधिसूचित करने 8.77 (20 बिन्दु के बराबर) परिवर्तनशील महंगाई फार्म दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

जिला विभाग, के पत्र क्रमांक/383/अच/577/अ/मि-5/2 दिनांक 30 जून, 1948 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासकीय न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(2) में निर्दिष्ट प्रशासन सहायक, कर्म विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3701/813/10-ए/82, दिनांक 26.06.1982 के अनुसार से ये अंशदा महंगाई की, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा परिवर्तन-अ' की 40 अधिसूचित नियोजकों में अंशदा अभियंता एवं अंशदा श्रमिकों तथा सामान्य दैनिक वेतन भोगी अभियंता एवं अंशदा श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन की दर समूह छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूची- ख एवं "ग" के अनुसार निर्दिष्ट करती है जो दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है।

(अंशदा महंगाई की)

कर्मचारी एवं सहायक प्रशासकीय
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

#0	नियोजन का नाम
01	घरवा फाईट में नियोजन
02	स्टील फाईट में नियोजन
03	स्पेस अडवांस में नियोजन
04	राजिय गित में नियोजन
05	कॉन्टिग लवंग इन्स्ट्रूज में नियोजन
06	सॉफ्ट वॉल्टे
07	मुन्दा फाईट में नियोजन
08	बाल एंड ड्रग्स सॉन्सिबल फाईट में नियोजन
09	स्टील ड्रॉसिंग में नियोजन
10	कस्कर वीचर एंड सोल्डर बॉस नियोजन
11	ईट मल्ला में नियोजन
12	पूरा बटल में नियोजन
13	टाईल्स डिपॉजिट सेटलिंग टाईल्स, इन्सुलेशन टाईल्स तथा अन्य स्थायी माल से प्रचलित टाईल्स सम्बन्धित है, फाल्टु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्बन्धित नहीं है, से निर्माण में नियोजन
14	सर्टीफिकेट डिपॉजिट डिपॉजिट वॉल, फायरवॉल, सेन्टेटी वेयर, इन्सुलेशन, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का उपयोग) स्टोन वेयर फाईंग, कपिंग, लॉन्गिंग, डिग्रेड तथा अन्य डिपॉजिट सामान सम्बन्धित है, में नियोजन
15	सॉफ्ट वॉल अडवांस सीमेंट से निर्मित उत्थरण में नियोजन
16	मार्बल के निर्माण तथा अनुसूचित का बाल एंड निर्माण बॉस में नियोजन
17	इन्डोविडोसिंग वॉलिंग में नियोजन
18	सिंथेटिक बॉसों के निर्माण एंड उत्थरण में नियोजन
19	वन चयन एवं वन लवंग में नियोजन तथा नर्सरी
20	किरी लवंग प्रसिक्करण में नियोजन
21	किरी टुकल, सॉन्सिबल सामान अडवांसि वेल्स, सेन्टेरीट तथा फाट्टरुन में नियोजन

22	वित्तिक संभव एव हीरो प्रीकाम डेन्ट में विद्यमान
23	हॉमिडर, नरिया डोम, किलोमी में विद्यमान
24	विद्यमान राधाम जर्जर (गोला प्रयोग जर्जर)
25	किसी मुद्रणालय में विद्यमान
26	पट्टाल पत्र/दीपक पत्र/संघ विद्यमान कन्ध एव गोदावन में विद्यमान
27	जयदेव फाट तथा सिन्हापुरी में विद्यमान
28	किसी वल मित्र में विद्यमान
29	संविधान तथा कर्मावृत्तिकाल में विद्यमान
30	रामन, सीतेवा, कुली राज एव कपी अधिक
31	किसी राधा मित्र जरा मित्र का जाल मित्र में विद्यमान
32	किसी कुरी, पट्टा मित्रों में विद्यमान
33	ज्या पारम विद्या में सेना, विमलपत्र, सन्ध्यावली, अर्द्धरात्री, अर्द्धरात्री सम्बन्धित है एवं राज मित्रों में विद्यमान
34	जयदेवरी प्रयोग/सीमे मित्र में विद्यमान
35	किसी जय मित्र में विद्यमान/गुरु लाल
36	पारिष्टिक प्रयोग में विद्यमान
37	कपूर लोक में विद्यमान
38	समाख्य विद्या समाजिन एव प्रयोगों की सम्बन्धित है, में विद्यमान
39	कोसा प्रयोग में विद्यमान
40	इन्द्र कनका प्रयोग में विद्यमान
41	कनक प्रयोग जरा में विद्यमान
42	कोन मित्र में विद्यमान
43	लोक संतर प्रयोग में विद्यमान
44	सोद्री जरा में विद्यमान
45	किसी विभिन्नो प्रयोग विद्या विभिन्न प्रयोग जो कि कारखाना परिवर्तित, 1948 की जरा-2 'को' परिवर्तित की गई, पर्याय जरा है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रयोग के अन्तर्गत नहीं आती है, में विद्यमान

(आम-दी)

21	सुवि में विद्यमान
----	-------------------

1. जयदेवरी प्रयोग।

2. किसी समाख्य विद्या में सेना की सम्बन्धित है) के विभिन्न में विद्यमान

परिशिष्ट "ब" (सफटीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो पत्रिका केवल निर्दिष्ट किया गया है, वह अंततः एक सप्ताह की अवधि पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिसूचना पर उसके अंतर्गत करने वाले नियम के अनुसार संबंधित क्षेत्रों पर काम के समस्त आवश्यक के दिनों का काम करवाया हो और यदि किसी कर्मचारी ने एक दिन का काम वास्तव में ही जो उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट पत्रिका केवल को 20 से कम केवल उपलब्ध किया जाएगा।
2. कर्मचारी के अलावा जो विभिन्न कार्यकारण के कारण नहीं हैं, वे उपरोक्त अवधि में वे कि विस्तृत एक ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना के अधिसूचित नहीं हैं, वे जिसे मूलतः केवल की दर नहीं होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अज्ञान, अर्थात्, अज्ञान तथा अन्य कारणों से कर्मचारी को समस्त पत्रिका निर्माता है -

"अज्ञान कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सप्ताह कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय का पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विन्दुत अवस्थागत नहीं पायी। यद्यपि व्यवहारिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार कार्यात्मक काम के अभाव में उसे विभिन्न समुदाय तथा माल के सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्थात् कर्मचारी" वह है, जो सामान्य सेवाओं का एक निर्दिष्ट प्रकार का कार्य करता है, जिसमें कि उसके अधिन, निर्णय, बुद्धि, सुरक्षा तथा विद्युत् की अज्ञानता की जागी हो किन्तु उसमें कार्यकारी रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे खड़े जाय, जिनका काम से करने की अपेक्षा की जाती है और उसमें स्वातंत्र्य निर्णय पूर्ण अधिकारों द्वारा लिये जाते हैं, इस प्रकार उसके कार्य-रोजगारों से एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

"दुर्गत कर्मचारी" वह है, जो सामान्य कार्य कर लेने, अपनी आवश्यकता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर लेने तथा निर्णयों से अपने स्वतंत्र्य का निर्वाह कर लेने। उसे उस प्रकार, किन्तु या उपयोग का जिसमें वह निर्दिष्ट किया गया हो, पूर्व एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"उच्च दुर्गत कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विभिन्न प्रकार का कार्य करने में पूर्ण रूप से वह हो। अपनी आवश्यकता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर निर्णयों से अपने स्वतंत्र्य का प्रयोग कर लेने एवं तकनीकी विधि या विपरीत कार्य हो। उसे उस प्रकार, तकनीकी किन्तु या उपयोग का जिसमें वह निर्दिष्ट किया गया हो, पूर्व एवं निर्दिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उच्च अधिवृत्ति न्यूनतम वेतन दरों का इशारेन किन्हीं कर्मचारियों पर इतिवृत्त प्रभाव नहीं लागेगा यदि प्रयोजित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीकित दरों से अधिक हैं, तो यह किन्हीं भी राज्य में इन नदों की जायेगी।
5. किन्हीं भी स्थापना या उपक्रम में प्रयोजित वेतन दरें अधिवृत्ति मुक्त न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंदागई वाले के घेरा से अधिक होने पर यह समझा जायेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिवृत्ति मुक्त न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंदागई वाले दिने जाने का फलन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंदागई वाले का घेरा अधिवृत्ति मुक्त न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंदागई वाले के घेरा से कम है, तब अधिक अंतर की राशि के लिये धार होने।
6. उच्च अधिवृत्ति न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (कर्मक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर् (ख) में उचित परिवर्तित किन्वे अनुसर विधायन विभाग से संसद में अधिवृत्ति समितिगत है।
7. उच्च कर्मचारियों का उपकरण पर नियोजित तो उच्च उपकरण एवं उक्त निमित्त की जाये, जो उच्च धरे इन्विक एवं उच्च धार कर्म करने उच्च एक दिन अधिवृत्ति उपकरण देने पर नियोजित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में जैसे तथा कर्मों के गुणवर्तों को पूर्णतः कर्मों के दैनिक एवं अधिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। प्रथम ऐसे उच्च कर्मों अधिवृत्ति देने हो तो, उन्हें उच्च उपकरण कर्मों में पूर्णतः किन्वे जायेगा और प्रथम ऐसे से कम राशि को प्रेष दिव्य जायेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही मजदूर का कार्य होता है तो सर्वोच्च कर्मवर्गीयों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मवर्गीयों को इशारेन जो विविध कार्यकरण में शारीर मरते हैं वे उपकरण समझा है न जो विरल तथा ऐसे धरों के कर्मवर्गीयों जो उच्च अधिवृत्तन में सम्मिलित नहीं है से किन्वे न्यूनतम वेतन की धरे नहीं होंगी जो प्रथम इतिवृत्ति कर लाभ करने वाले कर्मवर्गीयों को देय है। अधिको एवं कर्मवर्गीयों को कंपनी/धरों का अधिकतम प्रयोजित राशिका की अधिवृत्तन कर्मक एक 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में योजित है।



(अध्यक्षमंदागई जी)

अध्यक्ष एवं अध्यक्षी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
अलीसद, रायपुर

जोन का विवरण

जोन 'अ' -

- नगर पालिका निगम रायपुर, दुर्ग, गिराई, गिराई-बरोड एवं बीरगंज जौन के भीतर एवं नगर पालिका निगम सीमा से ७५ कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त जैववैज्ञानिक क्षेत्र एवं जैववैज्ञानिक विज्ञान केंद्र।
- भारत नगर, गिराई-रायपुर विज्ञान प्रविधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में किया ऐसे सफल कारखाने जिसको द्वारा सरकार द्वारा अधिनियम, १९८७ की धारा ३०० या उससे अधिक अधिकारों को लिए अनुमति की गयी है।

जोन 'ब'-

- नगर पालिका निगम राजनांदगांव, गिराईपुर, कोल्हा, रायगढ़, अधिकापुर, जवाहरपुर, विरमिरी एवं प्रमोदी नगर पालिका निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से ६ कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन 'ग' -

- जोन 'अ' एवं 'ब' में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अध्यक्षमहोदय जी)

बचतपुरा एवं लक्ष्म प्रधिकारी
न्यूजोन वेतन अधिनियम, १९८७
कलकत्ता, रायपुर

સાચી-જી
સાચીન વિહાર પાઠશાળા ડી એ વિહાર

(પ્રથમ વર્ષના કો અભ્યાસ વર્ષ)

(પ્રથમ વર્ષના કો અભ્યાસ વર્ષ)

ક્ર. નં.	વર્ગ	સર	પુસ્તક પુસ્તક		સીધામાં પાઠ્ય પુસ્તક		કુલ માર્ક્સ	સર	પુસ્તક પુસ્તક		સીધામાં પાઠ્ય પુસ્તક		કુલ માર્ક્સ
			સર	વર્ગ	સર	વર્ગ			સર	વર્ગ	સર	વર્ગ	
1	ગણિત	ક	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ખ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ગ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2	સાહિત્ય	ક	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ખ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ગ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
3	સાહિત્ય	ક	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ખ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ગ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
4	સાહિત્ય	ક	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ખ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
		ગ	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

ક્ર. નં. - પુસ્તક પુસ્તક અભ્યાસ વર્ષ કો અભ્યાસ વર્ષ સાચી-જી વિહાર ડી એ વિહાર. - ક' અને ખ' અને ગ' અને ડી અભ્યાસ વર્ષ. - ક' ડી એ.


(સાચી-જી)
સાચી-જી વિહાર
સાચી-જી વિહાર
સાચી-જી વિહાર

अनुसूची-३

विशेष आरक्षण के अंतर्गत में महिला विभाग के अंतर्गत में कार्यरत में विभाग के विभिन्न पदों पर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति का विवरण
(विभाग का नाम: वि. व. विभाग, जयपुर)

क्र. सं.	पद का नाम	श्रेणी	आरक्षण के अंतर्गत में		कुल संख्या		श्रेणी	आरक्षण के अंतर्गत में		कुल संख्या	
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		महिला	पुरुष		
1	अधीनस्थ	अधीनस्थ	01	01	01	01	01	01	01	01	01
			02	02	02	02	02	02	02	02	02
			03	03	03	03	03	03	03	03	03
2	अधीनस्थ	अधीनस्थ	04	04	04	04	04	04	04	04	04
			05	05	05	05	05	05	05	05	05
			06	06	06	06	06	06	06	06	06
3	अधीनस्थ	अधीनस्थ	07	07	07	07	07	07	07	07	07
			08	08	08	08	08	08	08	08	08
			09	09	09	09	09	09	09	09	09
4	अधीनस्थ	अधीनस्थ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			11	11	11	11	11	11	11	11	11
			12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	अधीनस्थ	अधीनस्थ	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			14	14	14	14	14	14	14	14	14
			15	15	15	15	15	15	15	15	15

नोट : उपरोक्त में आरक्षण के अंतर्गत में 4 1/2 %


 (सहसंचालक के)
 विभाग के अंतर्गत में
 विशेष विभाग, जयपुर
 जयपुर, राजस्थान

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

राज-डीन, डीएम टावर इंडस्ट्री बिल्डिंग, नया रायपुर, बटन नगर, बिला-रायपुर (छ.प.)

Website: www.cgshkbo.com, E-Mail ID: cgshkbo@gmail.com, ☎ No. 9775-243523, 14, 15, 16

क्रमांक / 603 / न्युपबो / 90880 / 2020 / 2041

नया रायपुर, दिनांक 27.03.2020

// अधिसूचना //

अपरबली उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) की उपविधा अन्तर्गत अधिकांशों की अधिवार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को 54 नं. विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613 / 16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा कार्यपर्यन्त किये जाने के द्वारा अन्तः अधिकांशों का प्रयोग करना हुए हुए द्वारा अधिकांश कार्यालय अन्तर्गत न्यून न्यूनतम वेतन की सेवा करने, विभाग को द्वारा कर, में **अज्ञातमेतर्भाई सी, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, विभाग तुलनाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के अन्तर्गत न्यून न्यूनतम वेतन का औसत विभागानुसार अधिकांश** करती है :-

वर्ग/वर्ग	अधिकार कार्यालय अन्तर्गत न्यून न्यूनतम वेतन (अन्तः वर्ष 1986-87 = 100)	वर्ग/वर्ग	अधिकार कार्यालय अन्तर्गत न्यून न्यूनतम वेतन (अन्तः वर्ष 1986-87 = 100)
जमानती 2024	1852.15	तुलनाई 2024	1832.81
साव्यती 2024	1850.35	अज्ञात 2024	1832.81
मार्ग 2024	1852.35	विभागा 2024	1912.19
अधिकार 2024	1858.82	अज्ञात 2024	1826.81
मई 2024	1855.81	न्यूनतम 2024	1826.81
पुनः 2024	1855.81	विभागा 2024	1912.82
कुल	$\frac{11170}{6} = 1862$	कुल	$\frac{11467}{6} = 1913$

अतः विभाग को द्वारा का औसत 1913 अधिकांश करती है, जो कि अज्ञातमेतर्भाई उद्योग में निर्धारित अधिकांश के अधिक निर्धारण कर न्यूनतम वेतन (अन्तः अधिक निर्धारण अज्ञातमेतर्भाई) रहता है। इस प्रकार का अन्तः अधिकांश अधिसूचना क्रमांक एच-90-4/2018/16 दिनांक 08.10.2018 की द्वारा अनुमति प्राप्त करके एवं रायपुर नगर निर्यन्त नगरपालिका अधिकांश यथा अज्ञातमेतर्भाई उद्योग में निर्धारित अधिकांश के दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक कर है।



(अज्ञातमेतर्भाई सी)
श्रमायुक्त एवं अज्ञात अधिकांश
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 अज्ञातमेतर्भाई, रायपुर

**परिवर्तनीय सहयोगी बलों की संगठना एवं पुनरीक्षित वर्गों के संबंध में
विवरणप्रत्मक टीप**

अगरवाली घटोत

अध्यायक कार्यालय, उत्तरीसंग्रह रायपुर को अधिसूचना क्रमांक/अपठ./
सुप्री/ १००३०/२०२५/२०२५, दिनांक २७.०३.२०२५ के अनुसार जुलाई २०२४ से दिसम्बर २०२४
तक की अवधि में अधिकृत भारतीय उपरोक्त मूल सूचकांक का अंश १९१५ रहा है। इस
अंश अगारवाली घटोत में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अधिकृत भारतीय उपरोक्त मूल
सूचकांक १२९५ (२०२१-२०२२) से आगे बढ़ाई के द्वारा जुलाई २०२४ से दिसम्बर २०२४ तक
की अवधि में ६३६ अंशों के अंतर (१९१५-१२७९= ६३६ अंश) की वृद्धि हुई है। अंश के
परिष्कारण अगारवाली घटोत में नियमित अंशों के अति परीक्षाधीन सहयोगी बलों १२६
वैशे (नया वैशे) प्रति सिन्धु प्रति एक हजार अगारवाली बलों के अति ७.६६ लाख परिवर्तनीय
सहयोगी बलों एवं सहयोग अगारवाली घटोत के अंश वर्ग के अति नियमित प्रति सिन्धु का
अनुसार परिवर्तनीय बलों का दिनांक ०१.०४.२०२५ से ३०.०९.२०२५ तक वेतन है।

उत्तरीसंग्रह शासन के अति अधिसूचना क्रमांक ए०-१०-५/२०१९/१६
दिनांक ३०.१०.२०१९ के अनुसार अगारवाली घटोत में नियमित अंशों की न्यूनतम वेतन वर्ग
में अधिकृत भारतीय उपरोक्त मूल सूचकांक से संबंध किया गया है। अतः अगारवाली घटोत में
नियमित अंशों को अनुसूची 'ड' अनुसार परिवर्तनीय बलों का दिनांक ०१.०४.२०२५ से
३०.०९.२०२५ तक वेतन है।

(अध्यायक सहयोगी बलों)
अध्यायक एवं सचिव अधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिसूचना, १९६९
उत्तरीसंग्रह, रायपुर

अनुसूची - 'ई'

क्र.	कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम वेतन की प्राथमिक मूल वेतन दर	न्यूनतम पञ्चवी की पुनरीकृत शर्तियाँ मूल की दर	कुल वेतन
अ.	आपाखरी टोलरी (1000 आपाखरी टोलरी करने पर)	₹ 25.06	₹ 1.88 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	34.84
	सहायक सुपरिन्टेंडेंट	₹ 27.66	₹ 1.88 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	35.54

ब। निम्न वर्ग के अनुसार आपाखरी रिजल्ट, बढा वेतन की छिलरी लम्बना, छाली पैकेट में बढा, पैकेट के दोनो ओर फिट अमाका पैकेट कर करना।

रिज रिजल्टेन वा डिसेटिन के

1.	10 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 22.05	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1 पैसा प्रति सिन्डु)	28.55
2.	20 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 22.76	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1 पैसा प्रति सिन्डु)	29.06
3.	30 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 22.76	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1 पैसा प्रति सिन्डु)	29.06
4.	40 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 28.89	₹ 1.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	36.77
5.	70 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 38.79	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	49.31
6.	80 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 44.57	₹ 1.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	57.17
7.	100 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 45.87	₹ 1.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	58.47
8.	120 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 56.4	₹ 1.25 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	72.16

रिजल्टेन वा डिसेटिन के

1.	10 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 22.76	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800 (1 पैसा प्रति सिन्डु)	29.06
2.	20 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 28.37	₹ 1.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800(1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	36.25
3.	30 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 36.30	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800(1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	46.82
4.	40 हाम बढन के प्रति रोकडा	₹ 37.05	₹ 0.88 5 पैसा प्रति सिन्डु 800(1.25 पैसा प्रति सिन्डु)	47.57

क्र.	कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षण मूल वेतन दर	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षण खोटाई मूल की दर	कुल वेतन
5.	70 टास वेतन से उच्च लेवल	₹ 39.15	₹ 19.00 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 (2.00 पैस प्रति सिन्ड्रे)	49.57
6.	80 टास वेतन से उच्च लेवल	₹ 45.87	₹ 12.80 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 2 पैस प्रति सिन्ड्रे	59.47
7.	100 टास वेतन से उच्च लेवल	₹ 54.09	₹ 15.70 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 (2.00 पैस प्रति सिन्ड्रे)	70.74
8.	200 टास वेतन से उच्च लेवल	₹ 57.81	₹ 15.70 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 (2.00 पैस प्रति सिन्ड्रे)	73.56
(iv) निम्नलिखित प्राचीन कर्मचारी वेतन कक्षा निम्न संख्या में अग्रवर्गीयों को मिलान किया जायेगा, पुनरीक्षण में अग्र, लेवल या डिप्लोमेट या डिप्लोमेट ग्रेड वेतन अग्रवर्गीयों को मिलान किया जायेगा।				
विश्व शिक्षण संस्थान के डिप्लोमेटों के				
1.	10 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 18.20	₹ 5.20 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 4000.00 पैस प्रति सिन्ड्रे	23.52
2.	12 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 18.56	₹ 5.20 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 4000.00 पैस प्रति सिन्ड्रे	24.19
3.	23 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 21.77	₹ 6.50 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 800 (1 पैस प्रति सिन्ड्रे)	29.03
4.	30 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 23.46	₹ 6.50 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 800 (1 पैस प्रति सिन्ड्रे)	29.76
5.	100 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 28.37	₹ 7.80 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 400(2.25 पैस प्रति सिन्ड्रे)	36.25
6.	200 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 30.11	₹ 7.80 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 400(2.25 पैस प्रति सिन्ड्रे)	37.99
(v) उच्च शिक्षण संस्थान में अग्रवर्गीयों के वेतन संयोजन :-				
1.	5 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 4.22	₹ 1.20 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 (0.25 पैस प्रति सिन्ड्रे)	5.48
2.	10 अग्रवर्गीयों के डिप्लोमेटों के लेवल	₹ 4.89	₹ 1.20 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 200 (0.25 पैस प्रति सिन्ड्रे)	6.19
3.	पुस्तक बंधन से बंधन में लेवल	₹ 7.32	₹ 1.80 5 पैस प्रति सिन्ड्रे 100 (0.25 पैस प्रति सिन्ड्रे)	9.40

असह्यती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेट्री क्लार्क वाला, मिनी, ड्राइंगर, पेट्री
पारो काला, मालिका तीरुगे काला, एकराउर बंदिपर, गोरुपुन बीरु, लक्ष्मिण, इलरु, कृष्ण अदि
ती वैपिका अरु अदिअ मडपुती न्युनान वेला अधिनियम को उधीन, मुहाल, लक्ष्मिणाल एरु
अनुवृत्त प्रवर्ग की अउरुती की इने 46 अधिनियम मानाअ नियंत्रण के लिए सामन इतर
अधिकार इने ही अभावडीत होगी।



(असह्यती उद्योग से)
असह्यती एरु अउरु अधिनियम
न्युनान वेला अधिनियम, 1948
असह्यती, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के अध्याय 2 में उल्लिखित न्यूनतम मजदूरी के अधिसूचित परिवर्तनशील महीनाई भत्ता (सीडीएड) जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 में औसत उचित मानवीय उपरोक्ता न्यूनतम सुवर्णक (जिसे इसमें इसमें प्रस्तावित सुवर्णक तथा उपरोक्ता) 1250 (2000-100) से अधिक का इस अधिसूचना के अध्याय 2 में उल्लिखित प्रत्येक साल के लिये प्रति मिनट सम्पुष्ट अधिकतम किसे एक अनुसार पर से तथा नरिणक पर का कार्यरत सर्वोपरि के लिये मानने 1.25 फीस प्रति मिनट प्रतिघण्टा की दर से संदेय होगा। जिसकी प्रत्येक प्रत्येक एक मास उपरोक्ता से न्यून तथा जुलाई से दिसम्बर (जहाँ भी लिखी हो, के औसत सुवर्णक के अन्तर्गत का भी उपरोक्ता और प्रत्येक 1 वर्ष के लिये तथा 1 वर्षद्वारा से वेध होगी। इस प्रकार से संशोधित परिवर्तनशील महीनाई भत्ता न्यूनतम वेध का भय होगा। उक्त औसत सुवर्णक न्यूनतम वेध अधिनियम, 1948 के अधिनियम प्रविष्टि द्वारा प्रत्येकवर्ष उपरोक्त में प्रेषित किसे उपरोक्त।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रयोग किसे भी कार्यरत या अधिसूचित प्रत्येक नहीं उपरोक्त। यदि किसे न्यूनतम मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी की पुनरीकित दरों से अधिक है तो वह किसे भी प्रविष्टि के कब नहीं की उपरोक्त। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के तहत (ब) के अधिनियम प्रविष्टि किसे भी अनुसार प्रियम प्रियम के संकेत में पुनरीकित दरों में प्रविष्टि किसे सम्पुष्ट है।
3. किसे नरिणक मजदूरी प्रविष्टि तथा की सम्पुष्ट का वेध होगी, जहाँ मजदूरी की नरिणक पर प्रियम की दर है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संशोधित की उपरोक्त हो तो, नरिणक मजदूरी को 25 से भय वेध अधिसूचित की उपरोक्त, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में प्रेषित एक अनुसार प्रियम प्रियम का प्रविष्टि किसे सम्पुष्ट होगा।



(सहस्येनसुधु की)
समापुष्ट एवं सभ्य प्रविष्टि
न्यूनतम वेध अधिनियम, 1948
प्रविष्टि, उपरोक्त

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

बस-वेग, द्वितीय तल, इंदरजी भवन, बटा बग, विरा-रायपुर (छ.ग.)

Website: www.cglabour.gov.in, E-Mail ID: cglabour.cg@gov.in, No. 0771-2463513, 14, 85, 16

क्रमांक/आव/न्युडि/आवक/2024/6213

नया रायपुर, दिनांक 26.06.2024

अविमुक्तता

भारतीय सरकार के अन्तर्गत श्रमिक वेतन अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) के अन्तर्गत श्रमिक श्रमायुक्त, भारतीय सरकार रायपुर द्वारा श्रम विभाग को अविमुक्तता क्रमांक/1791/613/श-ए/82, दिनांक 26.06.1982 के अन्तर्गत वे. वे. अन्तर्गत/वे.वे.सी. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर छाद् द्वारा अधिनियम भारतीय श्रमिकों का मुक्त सुधारण, जो कि भारत सरकार के वेतन कूट, विभागा से प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रवर्धित करता है :-

माह/वर्ष	अधिनियम भारतीय श्रमिकों का मुक्त सुधारण (अन्तर्गत वर्ष 1982 = 100)
जुलाई 2023	9193.77
अगस्त 2023	9190.00
सितम्बर 2023	9029.00
अक्टूबर 2023	8796.79
नवम्बर 2023	8544.28
दिसम्बर 2023	8124.43
जनवरी 2024	8121.19
फरवरी 2024	8150.01
मार्च 2024	8121.00
अप्रैल 2024	8163.98
मई 2024	8196.03
जून 2024	8295.46
कुल	$\frac{109008.54}{12} = 9167.38$

उपरोक्तानुसार पर्यवेक्षण शुल्क सूचकांक का अंशक 0150.00 घोषित करता हूँ, जो कि किसी संदर्भ (नियमों सेही बनना ही सम्बंधित हैं) के अधिनियम में निर्धारित बर्तिकाओं के लिए सर्वोच्च निर्धारित मान्य सूचकांक (एम्पल एम्प्लोय कास्ट डिडिन कुंठेयल पम्प) होगा। इस अंशक पर 48% विभाग की अधिनियमक कानून 198-10-4/2018/36 दिनांक (8.10.2018) के द्वारा पुनर्निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं बचतमुक्ता निर्दिष्ट अधिनियमकरीत बर्तिकाई अला सेटी बर्तिकाओं से दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक बंध रहेगा।



(अवरदेलासंगई से)
अध्यापक एवं सचिव अधिनियमकरी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1940
अधीनियमकरी, रावपुर

परिवर्तनशील महँगाईं मत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अनापूर्णा आर्थोत्तर, छात्रीसभर वरपुर की अधिसूचना क्रमांक/२०२४/सूचका/२०२४/२०२४/२०२४, दिनांक २०.०९.२०२४ के अनुसार कुलद्वय २०२३ से सूर २०२४ तक की अर्धी ने अधिस भारतीय उपसंका मूल सूचकांक का अर्धी ११३०.६३ रका है। इस अर्धी किरी संकाय (विशने कीरी अर्धी की अधिसिक्त है) के विनिर्माण में अनुसंधान वरन पुनरीक्षण के संध में अधिस भारतीय उपसंका मूल सूचकांक १३२१ (११३०+१९१) के अर्धी अर्धी के अर्धी सूरद्वय २०२३ से सूर २०२४ की अर्धी १९० २६२९.६३ पाईट (११३०.६३-१३२१) अर्धी किरी की वृद्धि हुई है। अर्धी के अधिससंधय किरी संकाय (विशने कीरी अर्धी की अधिसिक्त है) के विनिर्माण में विनिर्माण के सिधे परिवर्तनशील महँगाईं मत्ते । सिधे अर्धी किरी अर्धी अर्धी की वरन से २९.३० अर्धी परिवर्तनशील महँगाईं मत्ते दिनांक ०१.१०.२०२४ से ३०.०९.२०२६ तक ररर है।

अर्धीसभर अर्धीसभर अर्धीसभर की अधिसूचना क्रमांक एन-१०-४/२०१४/१६ दिनांक ०१.१०.२०१४ के अर्धीसभर किरी संकाय (विशने कीरी अर्धी की अधिसिक्त है) के विनिर्माण में विनिर्माण में अर्धी की अधिस भारतीय उपसंका मूल सूचकांक ने संध विधा ररर है। अर्धी की अर्धी में अधिसिक्त अधिसिक्त की अधिसूची-१६ अनुसार परिवर्तनशील महँगाईं मत्ते दिनांक ०१.१०.२०२४ से ३०.०९.२०२६ तक ररर है।



(अर्धीसभर अर्धीसभर की)
अनापूर्णा एवं संधय अधिसिक्त
सूचका वरन अधिसिक्त, १२६०
अर्धीसभर, वरपुर

अनुसूची 'फ'

सम्बन्ध (जिसमें बीबी बंगाल की सम्मिलित है) विभिन्न वें विवेकान

क्र.	वर्ग/वर्गों का नाम	सम्बन्धित कुल बंगाल का	वर्ग/वर्गों का नाम	कुल बंगाल
1	2	3	4	5
1.	बीबी बंगाल (1000 बीबी बंगाल के लिए)	₹ 28.24	28.31	₹ 124.24 जो कुल बिन्दु की अधिकतम बीबी बंगाल में प्राप्त होने वाले बंगाल का कुल बंगाल 202.42 में कम हो तो उसे कुल अधिकतम की अधिकतम में बाई पाई नहीं के अनुसार कम से कम बंगाल 202.42 का अनुमान प्राप्त बंगाल में दिया जाएगा।
अ बीबी के अर्द्ध या किसी बंगाल				
1	बंगाल विभागीय (या कुल) ₹ 12.12 जो 1000 का बंगाल का विभागीय अर्द्ध का बीबी बंगाल	₹ 12.12	₹ 12.12 (₹ 12.12 जो बिन्दु की अधिकतम)	47.33
2	दो अर्द्ध या दो बीबी जो 1000 के बंगाल का अर्द्ध का	₹ 14.28	₹ 14.28 (₹ 14.28 जो बिन्दु की अधिकतम)	70.50
ब किसी कुल बंगाल बंगाल बीबी अर्द्ध				
1.	किसी कुल बंगाल	₹ 48.28 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 48.28 (1) ₹ 48.28 बिन्दु की अधिकतम)	62.71
2.	किसी कुल बंगाल	₹ 14.28 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 14.28 (1.5) ₹ 14.28 बिन्दु की अधिकतम)	45.81
3.	बंगाल बंगाल	₹ 12.12 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 12.12 (1) ₹ 12.12 बिन्दु की अधिकतम)	15.64
4.	कुल बंगाल का विभागीय	₹ 12.12 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 12.12 (1) ₹ 12.12 बिन्दु की अधिकतम)	15.98
ग कुल बंगाल अर्द्ध का बीबी 24 बीबी का अर्द्ध का				
1.	अर्द्ध का अर्द्ध अर्द्ध बंगाल का अर्द्ध का	₹ 14.28 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 14.28 (2) ₹ 14.28 बिन्दु की अधिकतम)	255.48
2.	किसी अर्द्ध का अर्द्ध अर्द्ध का अर्द्ध का	₹ 14.28 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 14.28 (2) ₹ 14.28 बिन्दु की अधिकतम)	272.62
3.	किसी अर्द्ध का अर्द्ध अर्द्ध का अर्द्ध का	₹ 14.28 जो 1000 अर्द्ध का	₹ 14.28 (2) ₹ 14.28 बिन्दु की अधिकतम)	272.62

नोट :-

बीटी निर्माण के समय में दैनिक या सप्ताहिक तौर से वेतन देने वाले कर्मचारी जैसे, बीटी छंटिये का जॉब करने वाले, लान्च गिफ्ट तथा घराने का कार्य करने वाले, सट्टी वाला, सार्वजनिक, ड्राइंग (भरी चालन), हल्का चालन, एकाइस्टेंट, नुर्सी, कैंसिलर, सोडालर जीवर, श्रीर जीवर, टाईमिंग, डिप्लोम, क्लर्क, कुत, वीडीएन के वेतन अनुक्रम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समत-समन का निर्धारित वेतन, जमानुवार जो अनुक्रम बेरी के अधिका के वेतन के अनुसार निर्धारित होने।

इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा।

1. काम कुशल - ड्राइंग (सालन) (भरी चालन) एकाइस्टेंट, सट्टी सट्टी कम्पेटर (लान्चुएट एकाइस्टेंट, नुर्सी, कैंसिलर, इक क्लर्क)।
2. कुशल - श्रीर जीवर, ड्राइंग (हल्का चालन), टाईमिंग, सोडालर जीवर, क्लर्क डिप्लोम।
3. अर्ध कुशल - बीटी छंटिये का जॉब करने वाले, सट्टी चालन।
4. अनुक्रम - एक से कम चालने व चालने वाले या वीडीएन के नुकी के कार्य में तथा अधिका, कुत, अधिका।

बीटी निर्माण के समय में दैनिक या सप्ताहिक तौर से वेतन देने वाले कर्मचारी की अनुक्रम वेतन की दरें 42 अधिनियमित समन्वय नियोजकों के लिए जाराम द्वारा अधिनियम 2000 अन्तर्गत दीयी।



(सहस्यसहस्यारीं डी)
 अनापुक्त एवं सख्त प्रतिकारी
 अनुक्रम वेतन अधिनियम, 2000
 अन्तर्गत, सट्टी

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2024 To 30.09.2025

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2024

No.	Particular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	28.30
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	4.23
4	Total Wages	128.77
5	Bonus (@8.33% of Total Wages)	10.89
6	P.F. Contribution of Employer (@ 10% of Total Wages)	13.07
7	Total	154.73
8	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	13.07
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	13.07
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9))	128.59


(असममेलनसंगई डी.)
असमपुरा एव सलम अधिकारी
पुस्तक सेवा अधिकारी, 10-48
जलेशाबाद, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

बस-डीन, डिप्टी टाउन इन्डस्ट्री बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर (छ.प्र.)

Website: www.cgshrc.org.in, E-Mail: ID: cgshrc@cgshrc.org.in, No. 0771-244211,13,15,16

अर्नांक/स/उ/न/पुणे/स/स/उ/2025/2042

नया रायपुर, दिनांक 27.03.2025

प्रतिरिति :-

1. उप निदेशक, सामाजिक न्यायसचय, राजनगरबाद (प्रतापीसगढ़) की ओर अधिमूलक की प्रती केन्द्रों द्वारा निवेदन है कि इस अधिमूलक को (प्रतापीसगढ़) सचय के कार्यालय में प्रेषित करने के लिए प्रस्तावित कर 20 प्रति इस कार्यालय का प्रस्तावना बनाने का कष्ट करें।
2. अनुप अधिकारी, प्रतापीसगढ़ सचय नया विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
3. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय विभाग, रायपुर की ओर कार्यालय नं. 08/303/अ/577/37/नि-214, दिनांक 30.08.1992 से संबंधित, प्रतापी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
4. सचय, छत्तीसगढ़ सचय सचय प्रतापी विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
5. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय प्रतापी विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
6. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय अधिगत सचय विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
7. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय सचय प्रतापी विभाग एवं उच्च अधिगतिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
8. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय नया, (उच्च उच्च विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
9. सुनिता महामहिमसक, प्रतापीसगढ़ सचय, सुनिता न्यायसचय, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
10. महामहिमसक, प्रतापीसगढ़ सचय नया उच्च उच्च न्यायिक सुनिता, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
11. सुनिता महामहिमसक, उच्च एवं उच्चसचय केन्द्रों, रायपुर।
12. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय उच्च विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
13. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय उच्च विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
14. सचय, अधिगत नया एवं अधिगत विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।
15. सचय, प्रतापीसगढ़ सचय उच्चसचय विभाग, मंत्रालय, महानदी बस्, नया रायपुर, जटा नगर, जिला-रायपुर।

16. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन संशोधन कार्य विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
17. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन जन सेवाय अनामद विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
18. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
19. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन तालुकीची शिक्षा जनशक्ति नियोजन व प्रोजेक्टिची विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
20. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन आर, नागरिक जपुती एवं उपवेळा संलग्न विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
21. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन, कृषि, जपुसलन, मालवीसलन विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
22. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन, जोस सलन एवं इतिहा जलन तथा विविधा शिक्षा विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
23. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन डॉ.पि. एवं प्रदीप विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
24. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन नगरीय प्रशासन एवं विधा विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
25. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन संघका एवं डॉ.पि. विभाग, मंडळ, महानदी बस, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
26. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन विधि एवं विधी कार्य विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
27. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन जन विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
28. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन सांस्कृतिक, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
29. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन जन शिक्षण विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
30. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन जल एवं जलवन विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
31. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन वसिष्ठ विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
32. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन जनसंघी विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
33. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन डॉ.पि. जति एवं अनुसुचित जति विभाग, विद्युत एवं एवं जलसाधक विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।
34. डॉ.पि. प्रदीपराव शासन सौदा एवं जल विभाग, जल जलन विभाग, मंडळ, महानदी बस, का. रायपुर, जिल्हा मरा. जिला-रायपुर ।

58. संचालक, सर्वोपरी राज्य सेवा समिति, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
59. विचारक चक्र एव अतिथि जालान इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
60. आयुक्त, पशुधन विभाग, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
61. संचालक, कृषि विभाग, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
62. आयुक्त, जनसंर्ग विभाग, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
63. विचारक आयुक्त लक्ष्मी, विचारक भवन, सेक्टर-18, नया बजार, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
64. संचालक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आजीविका मित्त, विचारक भवन सेक्टर-18, नया बजार, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
65. आयुक्त, रायगण राष्ट्रीय राष्ट्रीय संरक्षण समिती संरक्षण (नर्मदा), विचारक भवन, सेक्टर-18, नया बजार, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
66. सचिव, राज्य निर्वासन आयोग, सेक्टर-18, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
67. संचालक, राससीध मुद्रणालय एव लेखक समिती, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, इलीसायद।
68. सर्वोपरी, नर्मदा एव समिती, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, इलीसायद।
69. संचालक, संरक्षण एव अतिथि, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
70. संचालक, पशुविक्रय संस्था, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
71. अग्र्य मुख एव संरक्षण, अग्र्य भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
72. आयुक्त अतिथि, लोक सचिव अतिथि, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
73. संचालक, सार्वजनिक, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
74. मुख उपरीपरी परीक्षा एव सार्वजनिक, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
75. अतिथि अतिथि (विद्युत सुख) एव मुख विद्युत निमित्त, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
76. संचालक, अतिथि संरक्षण एव सुख, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
77. संचालक, जनसंरक्षण इलीसायद, इंदौराजी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, इलीसायद जी और इलीसायद से समस्त वैयक्तिक संरक्षण एव नैतिक संरक्षण अतिथि।
78. आयुक्त अतिथि, राज सचिव विभाग, सेक्टर -18 नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
79. आयुक्त अतिथि, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -18 नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
80. आयुक्त, पशुविक्रय विभाग, सेक्टर-18, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
81. संचालक, सचिव जालान, सेक्टर -18, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
82. विचारक, सार्वजनिक परीक्षा समिति, सेक्टर-18, नया रायपुर, अटल नगर, इलीसायद।

83. मुद्रा कार्यालय अधिकारी, नया रायपुर टैटलरमैट जर्नीरिटी, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, मान एवं ज्ञान समितियों जर्मना कलकल लकल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं जम्मा कलकल अकलक विकास जर्मिलन, रायपुर ।
86. नालकालक इकल एवं डिलीक, लीको लकल, जिलाकलक के कल, कलीककालक रीक, रायपुर ।
87. संकाय कलकल, जिला-रायपुर, दुर्ग, जिलाकलक, कलर एवं कलकल (कलकल संकाय) ।
88. सचिव, राज्य नलीक कलकल, गलकली कलक-13, कलकल कलीकली, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य कलकल कल कलकल, कलीकलक के कली, रायपुर, जिला-रायपुर ।
90. सचिव, अनुकलक कली कलकल, कलकल कली, किलकल कलकल, रायपुर ।
91. सचिव, अनुकलक कलकली कलकल, कल किलर कलीकली कलीकल, रायपुर ।
92. सचिव, कलकलकल कलकल, कलकली कलीकल, डी.के.एल. कलकलकल के कल, रायपुर ।
93. सचिव, कल कलकल कलकल कलकल, कलकल कल, किलकल कलकल, रायपुर ।
94. सचिव, राज्य कलकल, कलकलकल कली कलकल, कलकल कलीकली कलीकल, रायपुर ।
95. सचिव, राज्य कली कल कलकल, कलकल-18, नली कलकल, नया रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
96. सचिव, राज्य किलकल किलकल कलकल, कली कल, कलकली कलीकली, रायपुर ।
97. कलकल कलकल कलकली, कलकली कली, कल-कलीकल, रायपुर, जिला-रायपुर ।
98. सचिव, कलकल कलकल, कलकल कल, किलकल, जिला-किलकल ।
99. कलकल कलकल, कलकल कल, किल कल, कलीकल, रायपुर ।
100. कलकल, कलकली एवं कलकल, कल कलीकल कलकलकल, कलकल के कल, रायपुर ।
101. किलकल कलकलीकल, राज्य कलकल कलकल कलकल एवं कली कलकल कल, कलीकलकल ।
102. कलकल, राज्य कलकल कल, किलकल कलकल रायपुर, जिला- रायपुर ।
103. आयुक्त, कल एवं कल कलकल, कलकल कलीकली कलीकल, रायपुर कलीकलकल ।
104. आयुक्त, किलकली कल, कलकल कलकल, के कल, रायपुर, जिला-रायपुर ।
105. कलकल, कलकली कलीकल कल, कलकल कली, कलकलीकल कलकल के कल, रायपुर ।
106. कलकल, कलकलीकल कलकल, रायपुर, कलीकलकल ।
107. कलकल, राज्य कलकल कलकल कलकली, रायपुर, कलीकलकल ।
108. कलीकलकल, कलकल कल कलकल एवं कलकल, कलकली कलकलकल किलकल कलकलकल, रायपुर ।
109. कलकल, किलकल किल, डी.के.एल. कलकलकल के कल, रायपुर कलीकलकल ।
110. कलकल, कलकल, कलीकलकल रायपुर ।
111. कलकल, कलकलकल किलकलकल रायपुर ।

168. ज्योती अधिकारी सत्यत शाखाएं कार्यालय अम्बपुरा प्रतियोग, अहम नगर
मिना-रायपुर।
169. एच संचालक/सहायक संचालक, ज्योतीय संचालक एवं सुका, रायपुर, बिलासपुर, पुर्न,
रायपुर, राजनागर, कोरक एव इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट रायपुर, अर्धराज्य, जयपुर-
रायपुर की ओर आकाशवाणी सेतु संचालक।
170. संचालक, अकादमिकी संचालक, रायपुर की ओर निगुण्य प्रसारण।
171. संचालक, दूरदर्शन प्रसारण संचालक, रायपुर की ओर निगुण्य प्रसारण।



(अध्यक्षसचिव) जी
अम्बपुरा एवं सत्यत अधिकारी
सुकायन वेतन अधिकारी, 1948
अहम नगर, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

ब्लॉक-08, टिडीए ब्लॉक, इंदरवती भवन, नया बजार, जयपुर, जयपुर, जयपुर (छत्तीसगढ़)
E-Mail: cgshramajyate@cg.gov.in, ☎ No. 0771-2442914, Fax No. 0771-2442916

अर्जा/आप/न्युनता/स.अ./2025/2643

जयपुर, दिनांक 27.09.2025

श्री,

विषय — दिनांक 21.04.2025 से 30.09.2025 तक प्रवर्धित न्यूनता वेतन एवं परिवर्धनीय माहगाई भत्ते की दर।

—000—

उपरोक्त विषयवस्तु में यह है कि न्यूनता वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 21.04.2025 से न्यूनता वेतन एवं परिवर्धनीय माहगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनता माहदूरी की दरें कम विभाग की वेबसाइट www.shramajyate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

संलग्न — 03/श्रमायुक्त।



सहायक श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़